रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2015/पौष 10, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 179
No. 182] DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2015/PAUSA 10, 1937 [N.C.T.D. No. 179

भाग—IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सं.फा.14(27)/एलए—2015/Cons2 law/154—163.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप—राज्यपाल की सहमति दिनांक 18 दिसंबर, 2015 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"दिल्ली विनियोग (संख्या 03) अधिनियम, 2015

(2015 का दिल्ली अधिनियम 06)

(01 दिसंबर, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[18 दिसंबर, 2015]

वर्ष 2015—16 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 3) अधिनियम 2015 है।
2. **259,96,00,000/— रुपयों का वर्ष 2015—2016 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए दो सौ उनसठ करोड़ छियानवे लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2015—2016 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

3. **विनियोजन.**—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रुपये हजारों में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियां

अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
2	साधारण प्रशासन	राजस्व	100	00	100
4	वित्त	राजस्व	300	00	300
6	शिक्षा	राजस्व	300	00	300
8	सामाजिक कल्याण	राजस्व	200	400	600
10	विकास	राजस्व	2496100	00	2496100
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	2200	00	2200
14	आकस्मिकता निधि	पूंजी	100000	00	100000
	योग		**2599200**	**400**	**2599600**

री. अरविंद, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 31st December, 2015

No. F.14(27)/LA-2015/Cons 2 law/154-163.— The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 18th December, 2015 and is hereby published for general information: –

"THE DELHI APPROPRIATION (NO.3) ACT, 2015

(DELHI ACT 06 OF 2015)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 01st December, 2015)

[18th December, 2015]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2015-16.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title.**— This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 3) Act, 2015.

2. **issue of Rs.259,96,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016.**—From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of rupees Two hundred fifty nine crore ninety six lakhs only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

3. **Appropriation.**—The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE
(See section 2 and 3)

(Rs in thousands)

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		SUMS NOT EXCEEDING			
1	2		3	4	5
2	General Administration	Revenue	100	..	100
4	Finance	Revenue	300	..	300
6	Education	Revenue	300	..	300
8	Social Welfare	Revenue	200	400	600
10	Development	Revenue	2496100	..	2496100
11	Urban Development and Public Works	Revenue	2200	..	2200
14	Contingency Fund	Capital	100000	..	100000
	Total		**2599200**	**400**	**2599600**

C. ARVIND, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सं.फा.3/352/नीति/वैट/2013/1210–21.–अधिसूचना संख्या सं.फा 3/352/नीति/वैट/2013/1062–73 दिनांक 23/11/2015 के आंशिक संशोधन में, जो कि प्रपत्र डी.पी.1 में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित थी, मैं, संजीव खीरवार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2004 की धारा 70 की उप धारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) व (3) तथा धारा 59 की उपधारा (2) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करता हूँ कि डी.पी.1 में ऑनलाइन सूचना दिनांक 31/01/2016 तक प्रस्तुत की जायेगी । जो व्यापारी 31/10/2015 तक पंजीकृत हैं उनके द्वारा ही फार्म डी.पी.1 भरा जायेगा।

उपर्युक्त अधिसूचना की बाकी सामग्री उसी प्रकार रहेगी ।

संजीव खीरवार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE & TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 31st December, 2015

No.F.3(352)Policy/VAT/2013/1210-21.—In partial modification of Notification No.F.3(352) Policy/ VAT/ 2013/1062-73 dated 23/11/2015 regarding submission of information online in Form DP-1, I, Sanjeev Khirwar, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (1) read with sub-section (2) and (3) of section 70 and sub-section (2) of section 59 of Delhi Value Added Tax Act, 2004, notify that the Form DP-1 shall be submitted online by all the dealers latest by 31/01/2016. The form shall be filed by dealers registered upto 31/10/2015.

Rest of the contents of the above said Notifications shall remain the same.

SANJEEV KHIRWAR, Commissioner (Value Added Tax)

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सं.फा.16(438)/श.वि./जल/2014/1488—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अन्तर्गत दिनांक 24.09.2013 को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में **कार्यपालक अभियन्ता (सिविल)** के पद पर नियुक्ति हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्न भर्ती तथा पदोन्नति विनियम इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :– (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **कार्यपालक अभियन्ता (सिविल)** के पद के भर्ती विनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **नियमित सेवा** :– किसी ग्रेड के संदर्भ में "नियमित सेवा" का अर्थ उक्त ग्रेड पर दीर्घकालिक नियुक्ति के लिये चयन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन होने के उपरान्त ग्रेड पर सेवारत रहने की अवधि है या अवधियां हैं और इसमें कोई अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसमें कोई अधिकारी उस ग्रेड के किसी ड्यूटी पद पर बना रहना होगा यदि ऐसा नहीं होता तो वह अवकाश पर या अन्यथा रहने के कारण किसी पद को धारण करने हेतु उपलब्ध नहीं है।

6. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली **सरकार** का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

7. **बचाव** :– इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

8. **निरसन**:– शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 13.10.2006 की अधिसूचना संख्या फा0 16(432)/श.वि./जल/2006/20855 इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से निरस्त समझी जायेगी।

अनूसूची

कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) के पद के भर्ती विनियम :–

1.	पदनाम	:	**कार्यपालक अभियन्ता (सिविल)**
2.	पदों की संख्या	:	56 (2013) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "क"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे /वेतनमान	:	वेतन समूह-3 में 15600-39100/-रुपये (ग्रेड पे 6600/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	पदोन्नति: (i) वेतन समूह-2 में 9300-34800/-रुपये +ग्रेड पे 4600/-रुपये में सहायक अभियन्ता (सिविल) में सात वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री धारण करने वाले अथवा सिविल इंजीनियरिंग में इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के भाग "क" तथा "ख" की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से संविदा विधि, ई-गवर्नेंस तथा अभियांत्रिकी मामलों में दो सप्ताह का पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो। **टीप–1** यदि कोई अधिकारी पदोन्नति के विचारणीय क्षेत्र में शमिल है उसने प्रशिक्षण नही लिया है वह/वे पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए बने रहेंगे और ऐसे अधिकारियों को अपनी पदोन्नति के तुरन्त बाद प्रशिक्षण लेना होगा। **टीप–2** इन नियमों की अधिसूचना की तिथि को सहायक अभियन्ता (सिविल) के ग्रेड में पदधारण करने वाले अधिकारी तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले वार्षिक आधार पर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का 33, 1/3 प्रतिशत रिक्तियों ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए योग्य होंगे। शर्त यह है कि सात वर्ष की नियमित सेवा वाले वे सहायक अभियन्ता (सिविल) जो भर्ती के समय कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) थे और सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि प्राप्त की या कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में भर्ती के समय सिविल अभियांत्रिकी में इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के भाग "क" तथा "ख" की परीक्षा उत्तीर्ण की है वे कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए भी योग्य होंगे, यदि कोई कनिष्ठ डिप्लोमाधारी सहायक अभियन्ता (सिविल) पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। **नोट 1**:– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या

दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने कनिष्ठ अधिकारी, उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है ।

टीप 2:– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।

प्रतिनियुक्ति

केन्द्र सरकार के निम्नलिखित अधिकारी:–

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–3 में 15600–39,100/–रुपये+ग्रेड पे 5400/–रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित

(iii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–2 में 9300–34,800/–रुपये+ग्रेड पे 4600/–रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में सात वर्ष की सेवा सहित

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले।

अनिवार्य :–

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि ;

(ii) सिविल अभियांत्रिकी कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव रखने वाले।

नोट 1 :– भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।

नोट 2:– (प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है । सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छ्यपन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी)।

टीप:–, पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसकी संरचना क्या है?	:	**"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति पर विचारार्थ)** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड – सदस्य 3. सदस्य (प्रशासन), दिल्ली जल बोर्ड– सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
पवन बोपड़ा, उप–सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st December, 2015

No.16 (438)/UD/W/2014/1488.—The following Recruitment and promotion regulations made by the Delhi Water Board under clause(m) of sub-section (2) of Section 109 read with Sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) vide Competent Authority orders dated 24.09.2013 necessary for appointment to the post of Executive Engineer(Civil) in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information, namely:—

1. **Short title and commencement** - **(i)** these regulations may be called the Executive Engineer (Civil) in Delhi Jal Board Recruitment and promotion Regulations, 2015.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, Classification and Pay Band, Grade pay/ scale of pay** - The number of posts, their classification and the Pay Band, Grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc** -The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications**: - No person,

   (a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government of N.C.T. of Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Regular Service** – "Regular Service" in relation to any grade means the period of periods of service in the grade, rendered after selection in accordance with the prescribed procedure of selection on long terms appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post.

6. **Power to Relax** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order, for the reasons to be recorded in writing, and consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. **Repeal** – Urban Development Department, G.N.C.T.D notification F.16 (432)/UD/W/2006/20855 dated: 13/10/2006 relating to the said post shall stand superseded from the date of issue of this notification.

5520 D 6/15-3

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Executive Engineer (Civil)	* 56 (2013) Subject to variation depended on workload.	Category 'A'	PB-3 Rs. 15,600-39,100 (Grade pay Rs. 6600)	Selection	Not Applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation if any	**Method of recruitment** : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not Applicable	Not Applicable	Two Years	By Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion Assistant Engineer (Civil) in Pay Band-2 Rs. 9300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4600 with seven years regular service in the grade and Possessing Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institution or have qualified the Section 'A' & 'B' examination of the Institution of Engineers (India) in Civil Engineering and have successfully completed two week course on Contract Law, e-Governance and other engineering matter from Delhi Jal Board Training Institute. **Note : 1** If any officer included in the field of consideration for promotion had not undergone the training, he/they shall continue to be eligible for consideration for promotion and such officers shall undergo the training immediately after their promotion. **Note: 2** The officers in the grade of Assistant Engineer(Civil) on the date of Notification of these rules and possessing Diploma in Civil Engineering shall however, continue to be eligible completion of nine years regular service for consideration to the post of Executive Engineer (Civil) limited to 33 1/3 % vacancies arising in the grade on annual basis. Provided that the Assistant Engineer(Civil) with seven years regular	**Category-'A'Departmental Promotion Committee (for considering Promotion)** 1. Chairman/ Member of Union Public Service Commission - Chairman 2.Chief Executive Officer, Delhi Jal Board - Member 3.Member (Admn.), Delhi Jal Board - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

service, who at the time of recruitment as Junior Engineer (Civil) were possessing Diploma in Engineering but subsequently acquired Degree in Civil Engineering or have qualified the Section 'A' & 'B' examination of the Institution of Engineers(India) in Civil Engineering and Assistant Engineer (Civil) with seven years regular service, who were Possessing Degree in Civil Engineering or have qualified the Section 'A' & 'B' Examination of the Institution of Engineers(India) in Civil Engineering at the time of recruitment as Junior Engineer (Civil) shall also be eligible for consideration for promotion to the post of the Executive Engineer(Civil), in case a Junior Diploma holder Assistant Engineer (Civil) is considered for promotion.

Note :-1 Where Juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service.

Note :-2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the pay Commission.

Deputation :-

Officers Under the Central Government:-

(A) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department ; OR

(ii) With five year's regular service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400. or equivalent in the parent cadre/parent department ; OR

(iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the PB-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre department; AND

(B) Possessing the following educational qualifications and experience

Essential:-

(i)Degree in Civil Engineering from a recognized University/ Institute.

(ii) Possessing five year's Experience in Civil Engineering works.

Note: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of

promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note: 2** (Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed Four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.) **Note: 3** For the purpose of appointment on deputation basis, The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended Shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scales is the normal replacement grade without any up gradation.		

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Union Territory of Delhi,

PAWAN CHOPRA, Dy. Secy. (Water)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.